न्यायालय जिला कलेक्टर एंव प्रथम अपील अधिकारी ,टोंक

प्रकरण संख्या 51 / 2020

मिनाली शर्मा पत्नि पियूष गोतम 767,बारियों का बास बान्दरी का नासिक सुभाष चोक जयपुर राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक जिला-टोक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 10-12-2020

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक जिला टोक को आवेदन पत्र दिनांक 25-9-2020 प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

1-मेरे ससुर श्री श्यामनारायण शर्मा को वर्तमान में आपके कार्यालय द्वारा एस0बी0आई0 बैंक की शाखा देवली से खाता सं0 51101898817 में पारिवारिक पेंशन प्राप्त हो रही है। मुझे श्रीमान जिला कलेक्टर टोंक द्वारा श्री श्यामनारायण शर्मा की पेंशन प्राप्ति का साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु श्री श्यामनारायण शर्मा का पारिवारिक पेंशन प्राप्ति का पी0पी0ओ0 नम्बर व 2 वर्ष का पेंशन स्काल व पी0पी0ओ0 नं0 उपलब्ध कराने की कृपा करें।

अपीलार्थी को सूचना प्राप्त नहीं होने पर प्रत्यर्थी ने कोषाधिकारी टोंक के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुई। लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक से अपीलान्ट को सूचना नहीं दिये जाने के संबंध मे जवाब तलब किया गया।

कोषाधिकरी टोंक ने पत्र कमांक 382 दिनांक 26-11-2020 से अवगत कराया है कि श्री मिनाली शर्मा द्वारा श्री श्यामनारायण शर्मा को अपना वेधानिक ससुर आवेदन में बताया गया है श्री श्यामनारायण शर्मा द्वारा कोषालय की ई-मेल आईडी पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी निजि जानकारी किसी अन्य को देने से मना किया गया है। श्री श्यामनारायण शर्मा द्वारा प्रस्तुत पत्र के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के नियम 8(1) (त्र) के तहत चाही गई सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं होने से श्रीमति मिनाली शर्मा को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। इस सम्बन्ध में श्रीमति मिनाली शर्मा को पत्र कमांक 332 दिनांक 7-10-2020 द्वारा अवगत कराया जा चुका है। आवेदक को दिये गये जवाब की प्रति न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को सुचना नहीं देने बाबत जवाब भिजवाया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:06:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner